भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2119

उत्तर देने की तारीख : 12.02.2026

महाराष्ट्र में सीजीटीएमएसई

2119. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकरः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में उन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या कितनी है, जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के तहत ऋण सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) क्या सरकार ने पहली पीढ़ी के उद्यमियों द्वारा सामना की जा रही ऋण संबंधी बाधाओं की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से संपार्श्विक मुक्त ऋणों की उपलब्धता को सरल बनाने के लिए क्या उपाय प्रस्तावित हैं; और

(घ) क्या ऋण प्रवाह को गति देने के लिए जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) और बैंक के साथ कोई समन्वय तंत्र मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में एमएसई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित एमएसई भी शामिल हैं, के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को दी गई क्रेडिट गारंटी का विवरण निम्नानुसार है:

सीजीएस – अनुमोदित गारंटियां-महाराष्ट्र		
वित्त वर्ष	**अनुमोदित गारंटियों की संख्या**	**अनुमोदित राशि (रु. करोड़ में)**
2022-23	66,055	11,926
2023-24	1,29,892	23,359
2024-25	2,38,128	39,989

(ख) से (घ) : भारत सरकार ने, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), जिनमें पहली पीढ़ी के उद्यमी भी शामिल हैं, के लिए ऋण तक पहुंच को मजबूत करने के लिए अन्यों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय किए हैं: -

(i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दिए गए ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करने हेतु सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) हेतु क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) लागू करता है। स्कीम के तहत गारंटी कवरेज की सीमा 10 करोड़ रुपए है।

(ii) एमएसएमई में पूंजी निवेश के रूप में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष की स्थापना की गई है, जिसमें भारत सरकार से 10,000 करोड़ रुपए और निजी पूंजी/उद्यम पूंजी कोष के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रावधान है। बजट 2026-27 में सूक्ष्म उद्यमों को समर्थन जारी रखने और वर्ष 2021 में स्थापित आत्मनिर्भर भारत कोष में 2000 करोड़ रुपए का संवर्धन करने की भी घोषणा की गई है।

(iii) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम गैर-कृषि क्षेत्र में विनिर्माण और सेवा उद्यमों के लिए क्रमश: 50 लाख रुपए और 20 लाख रुपए की परियोजना लागत के साथ नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए 35% तक मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान करता है।

(iv) पीएम विश्वकर्मा स्कीम की शुरुआत दिनांक 17.09.2023 को अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले 18 पारंपरिक व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों को सम्पूर्ण सहायता प्रदान करने हेतु की गई थी। इस योजना में अधिकतम 8 प्रतिशत ब्याज छूट के साथ 3 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान शामिल है।

(v) भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (ट्रेड्स) की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह योजना कॉर्पोरेट और अन्य खरीदारों, सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) सहित इलेक्ट्रॉनिक रूप से कई वित्तपोषकों के माध्यम से एमएसएमई के व्यापार प्राप्य के वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करती है।

एमएसएमई मंत्रालय, अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एमएसएमई/उद्योग विभागों के साथ समन्वय में जागरूकता पैदा करने और ऋण के प्रवाह को तेज करने के लिए जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) और सीजीटीएमएसई, सिडबी, बैंकों, एमएसएमई संघों आदि जैसे अन्य हितधारकों के साथ नियमित रूप से आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करता है।

*****